

उई वकील प्रार्थिया एव वैरोर
वकील प्रार्थिया अ बटस के डायन
में अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार
पर को स्वीकार किये जाके की
की।

ने जगवली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो
के बटस पर मनन किया। तथा वकील प्रार्थिया
द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सन्त 2015-2018 के खाता
सं. 195 में अंकित नाम का अध्ययन किया गया।
विविधित आराजियात ग्राम करणीपुरा पखार हल्का
बागोर II तहसील माण्डल में स्थित होकर प्रार्थिया
का नाम लक्ष्मी देवी पुत्री शायमल ओड के नाम दर्ज
रेकार्ड है, जिसकी तारीख प्रस्तुत जमाबंदी सन्त
2015-2018 से होती है प्रस्तुत दस्तावेजो एव
प्रार्थिया पत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थिया
का नाम लक्ष्मी देवी पुत्री शायमल ओड के बजाय बुलाकी
बाई पुत्री शायमल ओड नाम राजस्व रेकार्ड में
करवानी चाली है, जिसकी तारीख आधारकार्ड, राशन
कार्ड की फोटो प्रति एव जमाबंदी सन्त 2015-2018
खाता सं. 195 की प्रति पेश की गई जिससे होती
है। प्रार्थिया अपना माम इसी आधार पर परिवर्तन
करवानी चाली है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड
में भिन्नता नही हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया अपने प्रार्थिया
पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थिया
का प्रार्थिया पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती
हूँ, अतः;

∴ आदेश ∴

प्रार्थिया का प्रार्थिया पत्र स्वीकार किया जाकर
ग्राम करणीपुरा पखार हल्का बागोर द्वितीय तहसील
माण्डल जिला भीलवाड़ में स्थित खाता संख्या

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़

12-4-21

पञ्जावली पेश हुई वकील प्रार्थिया एवं पर्येकर सरकार उपस्थित वकील प्रार्थिया के बटस के डोरन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तुअर की।

मैने पञ्जावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बटस पर मनन किया। तथा वकील प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत जमावेदी सन्त 2015-2018 के खाता सं. 195 में अंकित नाम का अध्ययन किया गया।

विवादित आराजियात ग्राम करणीपुरा पखार हल्का बामोर II तहसील माण्डल में स्थित होकर प्रार्थिया का नाम लार्दी डेवी पुत्री शयमल ओड के नाम दर्ज रेकार्ड है, जिसकी तारीख प्रस्तुत जमावेदी सन्त 2015-2018 से होती है प्रस्तुत दस्तावेजो एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थिया का नाम लार्दी डेवी पुत्री शयमल ओड के बजाय बुलकी लार्दी पुत्री शयमल ओड नाम राजस्व रेकार्ड में करवानी चाहती है, जिसकी तारीख आधारकार्ड, राशन कार्ड की फोटो प्रति एवं जमावेदी सन्त 2015-2018 खाता सं. 195 की प्रति पेश की गई जिससे होती है। प्रार्थिया अपना नाम इसी आधार पर परिवर्तन करवानी चाहती है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड में भिन्नता नही हो।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

∴ आदेश ∴

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम करणीपुरा पखार हल्का बामोर द्वितीय तहसील माण्डल जिला भीलसाड में स्थित खाता संख्या


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलसाड

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

207 में स्थित आराजी मन्तर 6584/3, 6589/4,
6592/2, 6599, 6600, 6604/2, 6697, कुल
किता 07 रकबा 1-2014 हैक्टोर भूमि के
राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम लक्ष्मी देवी
पुत्री रायमल ओड के बजाये बुलानी बाई
पुत्री रायमल ओड अंकित किये जाने का
आदेश दिया जाता है, उसी अनुसार प्रार्थिया
का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकार्ड में अमल
देरामद करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार
माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर मन्तर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा